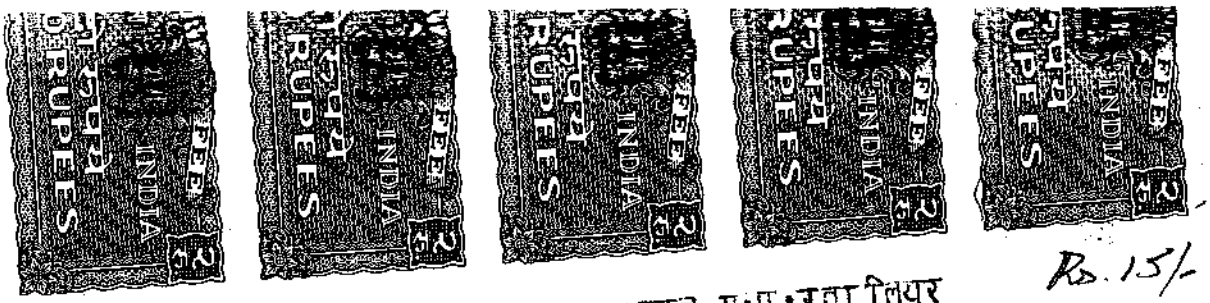

Rs. 15/-

न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल म•प्र•ग्वालियर

101

प्र•क्र• 847 -III/08 निगरानी

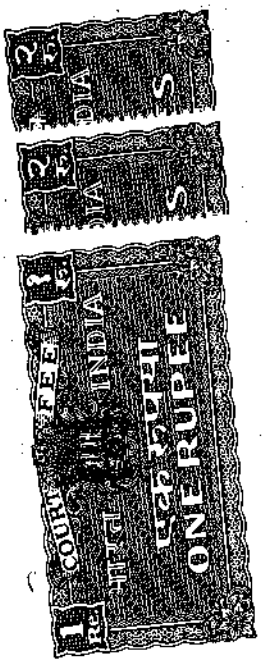

1- छोटे पुत्र रामधनी गडेरा, ग्राम सरई तहसील सिंगरौली जिला सीधी म•प्र•
2- सुरतनिया विधवा पत्नी रामलगन यादव सा• टुसाखांड, तहसील सिंगरौली जिला सीधी म•प्र•
3- पारवती पुत्री लोरिक पत्नी रामलगन यादव निवासी ग्राम चितरवदूर
4- सोनिया पुत्री लोरिक पत्नी साधूराम यादव तहसील सिंगरौली जिला सीधी

-----आवेदकगण•

बनाम

1- बल्ली सिंह पुत्र कन्नी सिंह निवासी ग्राम राजा सरई पो•पोडी नौगई तहसील सिंगरौली जिला सीधी
2- भगवान दास यादव पुत्र लोटिक यादव निवासी ग्राम राजा सरई पो• पोडी नौगई तह• सिंगरौली जिला सी

----- अनावेदकगण•

ओ० पी० सिंह
एडवोकेट
हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, ग्वालियर

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50 म•प्र•भू राजस्व संहिता 1959 जो कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्र•क्र• 211/06-07 अपील में दिनांक 1•7•08 को पारित किए गया ।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार पेश है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 847–तीन/2008 जिला सिंगरौली

छोटे आदि विरूद्ध बल्ली सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकों की ओर से कलेक्टर के आदेश के आदेश दिनांक 14–11–06 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने अंतरिम आदेश दिनांक 01–7–2008 को अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार कर सुविधा संतुलन पक्ष में होने से आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये तथा पेश दिनांक 4–8–08 नियत की। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार कर आगामी पेशी दिनांक 4–8–08 तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त ने आगामी पेशी तक यथास्थिति दिये थे जिसको व्यतीत हुये लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। आवेदक अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञता प्रकट की।	

अब इस निगरानी का कोई बल नहीं रहा गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त को दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर 45 दिवस में प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य